कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

क्रमांक / 2537 / RMSA / RTE / मॉडल स्कूल / 2022–23, अम्बिकापुर, दिनांक– 20/03/2023

प्रति,

सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
वि0खं0–........................., सरगुजा (छ0ग0)

विषय :– पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (PPP) योजना अन्तर्गत जिले में संचालित डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में शासकीय एवं RTE कोटे पर असुविधाग्रस्त छात्रों का प्रवेश के संबंध में।

संदर्भ :– संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, अटल नगर, रायपुर का पत्र क्र./विद्या/सी/550/RTE Portal/2022–23/86/अटल नगर/दिनांक 02.02.2023

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत जिले के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (PPP) योजना अन्तर्गत संचालित सभी 07 डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत् आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों (23 सीटों) पर एवं निःशुल्क शासकीय कोटे के तहत् बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग हेतु आरक्षित 8 प्रतिशत सीटों (07 सीटों) पर पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश हेतु निर्देश निम्नानुसार है –

1. जिले के सभी विकासखण्डों में संचालित प्रत्येक डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों में प्री प्राथमिक की प्रारंभिक कक्षा (KG1/LKG) में प्रवेश हेतु 15 मई 2023 तक अवेदन प्राप्त किया जावेगा।
2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों (23 सीटों) पर निम्नानुसार पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण किया जावेगा –

- विद्यार्थी संबंधित विकासखण्ड का निवासी हो, जिस विकासखण्ड के डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में प्रवेश हेतु आवेदन कर रहा है।
- प्री प्राथमिक की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु 15 मई 2023 की स्थिति में छात्र की न्यूनतम आयु 4–5 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात 16 मई 2018 से 15 मई 2019 के मध्य जन्मतिथि होने पर ही प्रवेश की पात्रता होगी।
- निम्नलिखित श्रेणी के पालक अपने बच्चों के प्रवेश हेतु पात्र होंगे –

	1. असुविधा प्राप्त समूह	2. दुर्बल वर्ग
पात्रता	अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/परिलक्षित आदिम जनजाति (PTG)/परंपरागत बनवासी/ दिव्यांगजन बच्चे (40 प्रतिशत से ज्यादा)	गरीबी रेखा (B.P.L.) के नीचे/एच0आई0व्ही0 (H.I.V.) पीड़ितों के बच्चे/अनाथ, परित्यक्त एवं आत्मसमर्पित बच्चे

निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन होने पर विद्यार्थियों का चयन लाटरी पद्धति से करते हुये चयन प्रक्रिया पूर्ण कर जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण किया जावेगा।

3. निःशुल्क शासकीय कोटे के 8 प्रतिशत सीटों (07 सीटों) पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल बी0पी0एल0 श्रेणी के पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार पूर्ण किया जावेगा –

- विद्यार्थियों का चयन जिला स्तरीय गठित समिति के माध्यम से किया जाना है।
- 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटे में विद्यार्थियों का प्रवेश प्रक्रिया जैसे आवेदन पत्र आमंत्रित करना, क्रमवार सूचीबद्ध करना तथा आरक्षण की स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थियों का चयन की पूरी कार्यवाही अपने स्तर पर पूर्ण कर जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर निर्धारित अवधि के भीतर चयन की पूरी कार्यवाही किया जाना है।
- प्रत्येक डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में नर्सरी की प्रारंभिक कक्षा के लिए स्वीकृत कुल 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए जिले में उक्त वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होगा। इस हेतु जिले में विगत जनगणना एवं उक्त वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर उक्त वर्गों के लिए प्री प्राथमिक की प्रारंभिक कक्षा हेतु आरक्षित की जाने वाली सीट संख्या निम्नानुसार होगी –

क्र	अनुसूचित जनजाति (57 प्रतिशत)	अनुसूचित जाति (5 प्रतिशत)	योग
1	06	01	07

- निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन होने पर निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित किया जावेगा –
  - दिव्यांगजन (40 प्रतिशत से अधिक) बच्चे।
  - ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता (दोनों) की मृत्यु हो गयी हो।
  - विधवा माता के बच्चे।
  - छुड़ाए गये बाल श्रमिक बच्चे जो सक्षम कलेक्टर द्वारा प्रमाणित हो।

उक्त प्राथमिकता निर्धारित कर शेष विद्यार्थियों का चयन लाटरी पद्धति से किया जावेगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC एवं ST) के प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने पर ऐसी रिक्तियां जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, को अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी द्वारा भरें एवं इसके विपरीत स्थिति में अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों को अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों द्वारा भरें। अगर निःशक्त बच्चों का आवेदन न हो तो उसी आरक्षण वर्ग के पात्र बच्चे से भरा जाए।

4. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे –

क्र.	आवश्यक प्रमाण पत्र	आवश्यक दस्तावेज/अभिलेख
1	पात्रता हेतु प्रमाण पत्र	अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/परिलक्षित आदिम जनजाति (PTG)/परंपरागत वनवासी संवर्ग के पालकों का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। **अथवा** दिव्यांगजन (40 प्रतिशत से अधिक) का मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। **अथवा** गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0 परिवार) का बी0पी0एल0 (B.P.L.) कार्ड या बी0पी0एल0 सर्वे सूची की प्रमाणित प्रति यथा अन्त्योदय कार्ड सामाजिक–आर्थिक एवं जातिगत जनगणना–2011 की जारी सूची **अथवा** एच0आई0व्ही0 (H.I.V.) पीड़ित पालक का मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। **अथवा** अनाथ, परित्यक्त एवं आत्मसमर्पित बच्चे का CWC (चाइल्ड वेलफेयर समिति) द्वारा जारी प्रमाण पत्र या प्रमाणित सूची।
2	बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र	नगर निगम का प्रमाण पत्र/अस्पताल का कार्ड/ANM या आंगनबाड़ी का कार्ड/कचहरी से बना शपथ पत्र (एपिडेविट) – (कोई एक)
3	पहचान प्रमाण पत्र	आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस आदि
4	निवास प्रमाण पत्र	आधार कार्ड/बिजली का बिल/राशन कार्ड आदि

5 डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के प्री प्राथमिक की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु निम्नानुसार समय–सारिणी अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण किया जावे –

क्र	प्रक्रिया बिन्दु	समयावधि
1	छात्रों का ऑफलाईन आवेदन एवं आवश्यक प्रमाण पत्र संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना।	20 मार्च 2023 से 15 मई 2023 तक
2	संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा दस्तावेज की जांच एवं पात्र विद्यार्थियों का 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा तथा 25 प्रतिशत RTE कोटा की सीटों हेतु पृथक–पृथक सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर को प्रस्तुत करना।	16 मई 2023 से 31 मई 2023 तक
3	जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन।	01 जून 2023 से 15 जून 2023 तक
4	संबंधित डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना।	16 जून 2022 से 30 जून 2022 तक
5	बी.ई.ओ. द्वारा प्रवेशित एवं रिक्त सीटों की जानकारी डी.ए.व्ही. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलवार जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दिया जाना।	01 जुलाई 2023 से 10 जुलाई 2023 तक
6	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शेष रिक्त आरक्षित सीटों पर निर्णय करना।	15 जुलाई 2023 तक

6. प्राचार–प्रसार :– चयन के लिए निर्धारित कार्यक्रम का प्रकाशन जिला, जनपद, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, नवीन डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के नोटिस बोर्ड के साथ–साथ विकासखण्ड के सभी ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड में भी करें। क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र को इसकी सूचना भेज कर पालकों को उक्त प्रक्रिया की जानकारी देने तथा डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में प्रवेश लेने हेतु प्रेरित करने के लिए कार्यवाही करें। क्षेत्र में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में समाचार के रूप में इसका प्रकाशन कर प्रवेश के लिए प्रचार–प्रसार करें।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

पृ0क्रमांक / 2538 / RMSA / RTE / मॉडल स्कूल / 2021–22, अम्बिकापुर, दिनांक–20/03/2023

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ0ग0 इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा छ0ग0 रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला मिशन समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन सरगुजा अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ...., जिला–सरगुजा की ओर सूचनार्थ। कृपया अपने जनपद क्षेत्र में प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

डी0ए0व्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के लिए आरक्षित कुल 08 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के बच्चों का प्री प्राथमिक की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023–24

संबंधित बी0ई0ओ0 कार्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि – 15.05.2023

संस्था का नाम – डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल ————————————

कलर फोटो

विकासखण्ड का नाम :– ————————————

जिले का नाम :– ————————————

जाति एवं जाति वर्ग :– ————————————

बी0पी0एल0 सर्वे सूची का क्रमांक व वर्षः– ————————————

(पालक का बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र अथवा सर्वे सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(पालक का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ————————————

   (अंग्रेजी में) :– ————————————

2. पिता का नाम :– ————————————

3. माता का नाम :– ————————————

4. आवेदक का प्रकार
   (1) विकलांगता (40% से अधिक हां/नहीं) :– – विकलांगता का प्रकार :– ––
   (2) मातृ–पितृहीन/पितृहीन :– ————————————
   (3) लिंग (बालक/बालिका) :– ————————————
   (4) छुड़ाए गये बाल श्रमिक (हां/नहीं) :– ————————————

   (सक्षम कलेक्टर द्वारा प्रमाणित)

5. पिता/पालक का व्यवसाय :– ____

6. पिता/पालक का वार्षिक आय :– ____

7. आवेदक की जन्मतिथि (अंकों में) :– ____

(शब्दों में) :– ____

8. पत्र व्यवहार का पता :– ____

____

9. स्थायी निवास का पता :– ____

____

टीप :– आवेदन पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र (विद्यार्थी का), जाति प्रमाण–पत्र व निवास प्रमाण–पत्र (पालक का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) मातृ–पितृहीन/पितृहीन होने संबंधी नोटरी का शपथ पत्र, माता–पिता का आय हेतु पटवारी अथवा सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र दिव्यांगजन विद्यार्थी (40% से अधिक) सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

घोषणा पत्र

मैं .... प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है। यदि कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो आवेदन निरस्त किये जाने तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बावत् जिला स्तरीय समिति का निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक ....

पिता/पालक के हस्ता0

....

दूरभाष/मो0नं0 ....

आवेदक के हस्ता0

....

डी0ए0व्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में शिक्षा अधिकारी अधिनियम अन्तर्गत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर पात्र विद्यार्थियों का प्री प्राथमिक की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023–24

संबंधित बी0ई0ओ0 कार्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि – 15.05.2023

संस्था का नाम – डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल ——————————————

विकासखण्ड का नाम :– ——————————————

जिले का नाम :– ——————————————

जाति एवं जाति वर्ग :– ——————————————

कलर फोटो

बी0पी0एल0 सर्वे सूची का क्रमांक व वर्ष:– ——————————————

(पालक का बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र अथवा सर्वे सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(पालक का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ——————————————

   (अंग्रेजी में) :– ——————————————

2. पिता का नाम :– ——————————————

3. माता का नाम :– ——————————————

4. आवेदक का प्रकार
   (1) विकलांगता (40% से अधिक हां/नहीं) :– – विकलांगता का प्रकार :– ––
   (2) एच0आई0व्ही0 पीड़ित पालक (हां/नहीं) :– ——————————
   (3) अनाथ, परित्यक्त एवं आत्मसमर्पित बच्चे (हां/नहीं) :– ————————

5. पिता/पालक का व्यवसाय :– ——————————————

6. पिता/पालक का वार्षिक आय :– ——————————————

7. आवेदक की जन्मतिथि (अंकों में) :– ——————————————

   (शब्दों में) :– ——————————————

8. पत्र व्यवहार का पता :- ____

____

9. स्थायी निवास का पता :- ____

____

टीप :- आवेदन पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र (विद्यार्थी का), जाति प्रमाण–पत्र व निवास प्रमाण–पत्र (पालक का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त), माता–पिता का आय हेतु पटवारी अथवा सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र दिव्यांगजन विद्यार्थी (40% से अधिक) सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, पालक के एच0आई0व्ही0 पीड़ित का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

घोषणा पत्र

मैं .... प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है। यदि कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो आवेदन निरस्त किये जाने तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बावत् जिला स्तरीय समिति का निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक ....

पिता / पालक के हस्ता0

....

दूरभाष / मो0नं0 ....

आवेदक के हस्ता0

....